बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
सरदार पटेल भवन, ब्लॉक–सी0, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाषः 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेलः secy-disastermgmt-bih@nic.in

संख्या–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/4020/आ०प्र०, पटना–23, दिनांक–12-11-2025

प्रेषक,

डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः शीतलहर/पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे बचाव के उपाय करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंढ की व्यापकता व तीक्ष्णता कभी–कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी ठंड प्रारम्भ होने के कारण राज्य में तापमान गिरता जा रहा है तथा निकट भविष्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रायः शहरी/अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में बसे गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन (Homeless) व्यक्ति विशेष रूप से शीतलहर से प्रभावित होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से प्रभावित होने वाले जनसामान्य, विशेषकर गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों, के बचाव हेतु समुचित प्रबंध करे। शीतलहर/पाला से बचाव हेतु निम्नांकित तैयारी सुनिश्चित की जाय :–

- **परामर्श और पूर्व चेतावनीः** समय से परामर्श एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समन्वय कर शीतलहर की पूर्व चेतावनी से जान–माल के संभावित नुकसान/क्षति को कम किया जा सकता है। अतएव सभी संबंधित हितधारकों के मध्य समय से पूर्व चेतावनी का प्रसार किया जाय।
- **स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँः** जान–माल की क्षति को कम करना और शीतलहर से संबंधित बीमारियों को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतएव शीतलहर के प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- **कृषिः** शीतलहर/पाला का कृषि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल की क्षति होती है। अतएव शीतलहर/पाले से होने वाली फसल क्षति से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- **पशुधन की सुरक्षाः** शीतलहर/पाला से पशुधन की भी क्षति होती है। अतएव शीतलहर/पाला से पशुओं की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि पशुपालन एक बड़ी आबादी की आजीविका का हिस्सा है।
- **ऊर्जाः** शीतलहर के प्रबंधन में शक्ति/ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण है। निर्बाध बिजली आपूर्ति आंतरिक वातावरण को गर्म रखने में मदद करती है और यह चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद करती है।
- **परिवहन और यातायात प्रबंधनः** शीतलहर के दौरान कोहरे/धुंध के मद्देनजर सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यातायात के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

F:\2025\Rajnish Sir\Cold Wave\Cold Wave Guidline 05-11-2025.doc

2. अवगत हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–32–3/2010–NDM-1 दिनांक–13.08.2012 के द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave) /पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है, जिसका संसूचन विभाग द्वारा पत्रांक–4285/आ0प्र0, दिनांक–18.10.2012 द्वारा किया गया है (प्रति संलग्न)।

3. गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों की शीतलहर से सुरक्षा के लिए निम्नांकित निदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय :–

(i.) **रैन बसेरों/अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्थाः**–शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, असहायों, आवास विहीनों एवं सदृश्य श्रेणी के गरीब, निःसहाय व्यक्तियों के रहने हेतु रैन बसेरों (Night Shelters) की समुचित व्यवस्था की जाय। जहाँ रैन बसेरे उपलब्ध न हों, वहाँ जिले में उपलब्ध पॉलीथीन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन बसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जाएँ। रैन बसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय, ताकि जन सामान्य को इसकी पूर्ण जानकारी रहे तथा वे सरकार द्वारा एतद् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकें तथा इस व्यवस्था की मौनेटरिंग/ निगरानी की जाय। **रैन बसेरों की व्यवस्था एवं रख–रखाव स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से होगी।**

(ii.) **कम्बल वितरणः**– आवासहीन (Homeless) गरीबों, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच आवश्यकतानुसार कम्बल का वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।

(iii.) **अलाव की व्यवस्थाः– (क)** जिला विशेष में ज्यों ही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी के द्वारा अपने विवेक से गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी स्थानों में की जाएगी। अलाव की व्यवस्था करते समय जिला पदाधिकारी के द्वारा यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हों या एकत्र होते हों यथा धर्मशालाएँ, अस्पताल परिसर, रैन बसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/बस स्टेशन आदि। साथ ही, अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। अलाव के लिए चिन्हित स्थलों की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार मिडिया के माध्यम से कराया जाय।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाय। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं निःसहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरूपयोग न हों, साथ ही मितव्ययिता बरती जाय। अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाएगी।

4. निरीक्षण एवं अनुश्रवणः– जिला पदाधिकारी रैन बसेरों, अन्य शरण स्थलों (यदि कोई हों) एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का समय–समय पर निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समय–समय पर घूम–घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे।

शीतलहर से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन को DSS पोर्टल (https://iresponse.bihar.gov.in) पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं हस्ताक्षरित कॉपी राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) के ईमेल–seoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक–I पर संलग्न है।

5. मीडिया के साथ समन्वयः–

(क) जिला पदाधिकारी इस संबंध में अपने जिले में किए गए प्रबंधों की विस्तृत जानकारी स्थानीय मीडिया को देते रहेंगे। शीतलहर से बचाव हेतु किये जाने वाले उपाय से प्रचार माध्यमों से जनता को भी अवगत कराया जाय। शीतलहर से बचाव हेतु क्या–क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, पैम्पलेटों, समाचार–पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, हॉर्डिंग एवं बैनर लगाकर व अन्य समाचार माध्यमों से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था करेगा।

(ख) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में यदा–कदा शीतलहर से मृत्यु की सूचना प्रकाशित होती है। ऐसी सूचना के तथ्यों की जाँच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पाया जाए तो उनका खंडन समाचार–पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। परंतु यदि सूचना सही हो, तो साहाय्य मानदर के प्रावधान के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/11/25

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही, जिलों के भ्रमण के समय रैन बसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर (Cold Wave) से होने वाली पशु क्षति से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय।

11/11/25

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीत लहर के दौरान कोहरे/धुंध के मद्देनजर सुरक्षात्मक उपाय कराते हुए यातायात के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर (Cold Wave) से होने वाली फसल क्षति से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर से बचाव हेतु नागरिकों द्वारा किए जाने वाले एहतियाती उपायों का प्रचार–प्रसार समाचार माध्यमों से करने एवं प्रभावित व्यक्तियों के ईलाज की सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05 / आ0प्र0(मानवा)–02–03 / 2025 / 4020 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपि: सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

11/11/25

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना हवाई अड्डा परिसर, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, सरदार पटेल भवन, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दैनिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपराह्न 4.00 बजे विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को ईमेल–seoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर भेजने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली (ईमेल–sgnhrc@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उल्लेखनीय है कि आपके अर्द्धसरकारी पत्र के साथ संलग्न प्रतिवेदन में वर्ष 2019 से 2023 के बीच शीतलहर (Coldwave) के कारण बिहार राज्य में 589 लोगों की मृत्यु प्रतिवेदित है। परन्तु वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक बिहार राज्य में शीतलहर (Cold Wave) के कारण केवल 01 मृत्यु की सूचना है। अतएव अनुरोध है कि उक्त आँकड़ें को संशोधित करने की कृपा की जाए।

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरदार पटेल भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–05/आ0प्र0(मानवा)–02–03/2025/ 4020 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-11-2025

प्रतिलिपिः सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/बजट प्रशाखा/प्रभारी, SEOC/आई0टी0 मैनेजर/डाटा एनालिस्ट, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

F:\2025\Rajnish Sir\Cold Wave\Cold Wave Guidline 05-11-2025.doc

Govt. of Bihar

Department of Disaster Management

Cold wave Report (Dated on ....)

S.No.	Block Name	No. of Places where bonfire lit (Today)	No. of Places where bonfire lit (Cum)	Qty. of wood burned in kg (Today)	Qty. of wood burned in kg till date (Cum)	Loss of Life (Today)	Loss of Life (Cum)	No. of Night Shelters (Today)	No. of Night Shelters till now (Cum)	No. of people taking shelter in night shelter (Today)	No. of people taking shelter in night shelter till now (Cum)	No. of blankets distributed (Today)	No. of blankets distributed till now (Cum)	Remarks
1														

Letter No.:

Date:

Copy:

Signature of District Officers/

Additional District Magistrate(ADM)(Disaster Management)/

Officer in Charge(District Disaster Management)/

[NAME OF DISTRICT]